Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

आदिवासियों की व्यय संरचना एवं ऋणग्रस्तता

डॉ. राकेश कुमार चौहान*

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय, कुक्षी (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू व्यय संरचना भी है। व्यय-संरचना के अंतर्गत विभिन्न मदों जैसे भोजन एवं शिक्षा पर व्यय, सामाजिक कार्यों, ऋणों का भुगतान एवं अन्य कार्यों पर व्यय करने की स्थिति को शामिल किया गया है। आदिवासियों के संबंध में पूर्व में अनेक विद्धानों ने स्पष्ट किया है कि आदिवासी लोग जितनी भी आय प्राप्त करते हैं, उसका सर्वाधिक भाग विभिन्न मदों पर व्यय कर देते हैं अर्थात् वे बचत नहीं करते हैं या फिर बहुत कम लोग बचत कर पाते हैं।

शब्द कुंजी – आदिवासी, व्यय संरचना, ऋण्ग्रस्तता।

प्रस्तावना – आदिवासियों की अर्थव्यवस्था जीवन-निर्वाह अर्थव्यवस्था के रूप में पहचानी जाती है। इनकी अर्थव्यवथा से जुड़ा एक और पहलू ऋणग्रस्तता भी है। आय के निम्न स्तर और व्यय की अधिकता के कारण आदिवासियों को अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में उन्हें अपने जीवन-निर्वाह एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न स्त्रोतों जैसे सरकारी संस्थाओं, साहूकारों आदि से ऋण भी लेना पड़ता है और इस ऋणग्रस्तता के कारण उनके समक्ष और कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

शोध विषय का चयन – शोध कार्य के लिए मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले का चयन किया गया है। झाबुआ जिले **'आदिवासियों की व्यय संरचना एवं ऋणग्रस्तता'** विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदिवासी परिवारों की व्यय संरचना एवं ऋणग्रस्तता से संबंधित बिन्दुओं का अध्ययन करने के लिए इस शोध विषय का चयन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. आदिवासियों की व्यय संरचना का अध्ययन करना।
2. आदिवासियों ऋणग्रस्तता की स्थिति का अध्ययन करना।

अध्ययन का महत्व – इस शोध के माध्यम से आदिवासियों की व्यय संरचना एवं ऋणग्रस्तता से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जो कि आदिवासी विकास की नीति निर्धारकों एवं नवीन शेधकर्ताओं के लिए लाभदायक साबित होगी।

अध्ययन का क्षेत्र – शोध कार्य के लिए मध्यप्रदेश के जनजाति बाहुल्य झाबुआ जिले का चयन किया गया है। इस जनजाति बाहुल्य जिले में सर्वधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती है।

निदर्शन प्रक्रिया

1. **अध्ययन का समग्र –** इस शोध कार्य के **समग्र** के रूप में अध्ययन हेतु चयनित आदिवासी आधिक्य झाबुआ जिले के जनजाति परिवारों को शामिल किया गया है।

2. **अध्ययन की इकाई –** अध्ययन की **इकाई** के रूप में झाबुआ जिले के जनजाति परिवारों में से कुल 360 आदिवासी परिवारों का चयन उत्तरदाताओं के रूप में दैव निदर्शन पद्धति से किया गया है।

उत्तरदाताओं का चयन – शोध कार्य की पूर्ति के लिए उत्तरदाताओं का चयन शोध के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर **सोद्देश्य प्रतिचयन विधि** से किया गया है। झाबुआ जिले से कुल 360 आदिवासी परिवारों का चयन **सोद्देश्य प्रतिचयन विधि** से किया गया है।

आँकड़ों का संकलन – ग्रामीण आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के अध्ययन से संबंधित इस शोध की पूर्ति के लिए प्राथमिक आँकड़ों एवं द्वितीयक आँकड़ों का संकलन किया गया है।

आँकड़ों के संकलन के स्त्रोत – अध्ययन क्षेत्र के आदिवासी उत्तरदाताओं से संकलित किए गए प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण एवं सारणीकरण के बाद में तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए, जिसके आधार पर शोध कार्य की पूर्ति की गई है।

अध्ययन के निष्कर्ष:

1. आदिवासियों की व्यय-संरचना के संबंध में जो आँकड़े प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार लगभग 39 प्रतिशत आदिवासी भोजन जैसी मूलभूत मद पर व्यय करते हैं। लगभग 31 प्रतिशत आदिवासी सामाजिक कार्यों के साथ-साथ अन्य कार्यों जैसे आवागमन, आकस्मिक घटनाओं आदि पर व्यय करते हैं। लगभग 16 प्रतिशत आदिवासी शिक्षा पर तथा 15 प्रतिशत आदिवासी ऋणों के भुगतान पर व्यय करते हैं। स्पष्ट है कि सर्वाधिक आदिवासी भोजन जैसी मूलभूत आवश्यकता पर व्यय करते हैं तथा कुछ आदिवासी अपने द्वारा लिये गये ऋणों के भुगतान को महत्व देते हैं।
2. आदिवासियों की ऋणग्रस्तता के संबंध में प्राप्त समंकों के अनुसार 97 प्रतिशत से अधिक आदिवासियों द्वारा ऋण लिया जाता है तथा शेष आदिवासी किसी प्रकार का ऋण नहीं लेते हैं। इसे एक विडम्बना ही कहा जा सकता है कि आदिवासियों के विकास के लिये किए गए पुरजोर प्रयासों के बावजूद भी आज वे ऋणग्रस्तता के जाल में फँसे हुए हैं।
3. आदिवासियों द्वारा ऋण लेने की मात्रा के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार सर्वाधिक आदिवासी (49.14%) ऐसे हैं, जो प्रतिवर्ष रू. 5000-10000 ऋण लेते हैं। लगभग 28 प्रतिशत आदिवासी रू. 5000 से कम

प्रतिवर्ष ऋण लेते हैं तथा 11 प्रतिशत आदिवासी ऐसे हैं, जो रू.15000 से अधिक का ऋण लेते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सबसे अधिक आदिवासी ऐसे हैं, जो प्रतिवर्ष रू. 5000-10000 का ऋण लेते हैं।

4. ऋणग्रस्तता एवं व्यावसायिक-संरचना के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार कृषि एवं व्यवसाय में संलग्न लगभग सभी आदिवासी ऋण लेते हैं। मजदूरी करने वाले 92 प्रतिशत से अधिक आदिवासी ऋणग्रस्त हैं। दूसरी ओर नौकरी करने वाले सबसे कम (16.67%) आदिवासी ऋण लेते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण आय की निश्चितता है, जिसके परिणामस्वरूप कम लोगों द्वारा ऋण लिया जाता है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सर्वाधिक आदिवासी वर्ग का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य है और कृषि क्षेत्र में घटते लाभ के कारण उन्हें अपनी जरूरतों को पूर्ण करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

5. विभिन्न व्यावसायिक-गतिविधियों में संलग्न आदिवासियों के ऋण लेने के स्त्रोंतो के संबंध में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 59 प्रतिशत आदिवासी साहूकारों से ऋण प्राप्त करते है तथा 36 प्रतिशत सरकारी संस्थाओं से एवं लगभग 6 प्रतिशत आदिवासी आवश्यकता होने पर अपने रिष्तेदारों से भी ऋण लेते है। व्यावसायिक वर्गीकरण के अनुसार कृषि करने वाले सर्वाधिक (56.12%) आदिवासी साहूकारों से ऋण लेते है तथा सरकारी संस्थाओं से ऋण लेने वाले आदिवासी कम है। दूसरी ओर विभिन्न व्यवसायों में संलग्न लोग भी सरकारी संस्थाओं की तुलना में साहूकारों एवं अपने रिष्तेदारों से ऋण लेते हैं, वहीं मजदूरी करने वाले सर्वाधिक आदिवासी (58.29%) भी आवश्यकता होने पर साहूकारों से ही ऋण लेते हैं। इसके साथ ही वे अपने निकट संबंधियों से भी ऋण प्राप्त कर लेते हैं। नौकरी में सेवारत परिवार के लोग ऋण हेतु पूर्णत: सरकारी संस्थाओं पर निर्भर होते है।

6. विभिन्न आर्थिक कार्य करने वाले आदिवासियों द्वारा ऋण लेने के कारणों के संबंध में प्राप्त समंकों के अनुसार ऋण लेने वाले सर्वाधिक आदिवासी (66.85%) कृषि संसाधनों के क्रय हेतु ऋण लेते है। इन कृषि संसाधनों में कुँआ खुदवाना, मोटर पंप लगवाना, अच्छे खाद एवं बीज का क्रय करना, अच्छी कीटनाशक का उपयोग करना आदि शामिल है। इसके साथ ही लगभग 24 प्रतिशत आदिवासी पारिवारिक कार्यों की पूर्ति के लिए ऋण लेते हैं। इन पारिवारिक कार्यों में खान-पान की उचित व्यवस्था, मकान बनाना, बच्चों की शिक्षा एवं विवाह आदि शामिल है। 10 प्रतिशत आदिवासी सामाजिक कार्यों जैसे समाज के कार्यक्रमों में मदद करना, मृत्यू भोज आदि की पूर्ति के लिए भी ऋण लेते है। कृषि करने वाले सर्वाधिक लोग कृषि संसाधनों के लिए ऋण लेते हैं, वहीं मजदूरी एवं विभिन्न व्यवसायों में संलग्न सर्वाधिक आदिवासी पारिवारिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए ऋण लेते है।

उपसंहार – अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि विभिन्न व्यावसायिक-गतिविधियों में संलग्न विभिन्न आय-स्तर वाले आदिवासी अपनी आय को भिन्न-भिन्न मदों पर व्यय करते हैं। सर्वाधिक आदिवासी लोग खान-पान पर व्यय करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ आदिवासी ऋणों के भुगतान, सामाजिक एवं अन्य कार्यों पर भी व्यय करते हैं। लेकिन शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलू की आदिवासियों ने सर्वथा उपेक्षा की है। आदिवासियों का औसत व्यय उनकी वार्षिक औसत आय से अधिक हैं। इस कारण से जब आदिवासी अपनी आय के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो वे विभिन्न स्त्रोतों से ऋण लेते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Kuriyan, J. (1982), Tribal Health Programme, Health & Population: Perpective & Issues, Vol. 5(1), PP . 44-54
2. Rao, D.L. (1972), `Sahukar & Tribal Society', the Tribe, Vol. 8, No. 3 & 4, PP. 7-14
3. Shah, Mihir (2002), the Adiwasi Question: The Hindu, 2-3 March.
4. Mann, R.S. (1978), Problems of Indian Tribes - A Brief Review, The Tirbes, Vol. 11, No. 1, June, P . 113
5. Singh, Awadesh Kumar (1986), Dynamics of Tribal Economy, Serials Publications, New Delhi, P. 61
6. Raddy, N.S. (1988), Depriving Tribals of Land – Andhra Move to Amend Land Transfer Law, Economic & Political Weekly, Vol. 23, No. 29, July 16, P. 58-60.
7. Singh, A.K. & Singh, O.P. (2000), `Participation in Rural Development programmes in Uttar Pradesh', Dynamics of Public Administration, Lucknow Universty, Lucknow P.54

****